महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत

NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA

दूरभाष/ Phone: 0151-2210076 फैक्स/ Fax: 2212042 ई-मेल/ E-mail: academicmgsu@gmail.com

क्रमांक : एफ.07(112–V) / मगंसिंविबी / शैक्ष. / 2013 / 7721–7782 दिनांक : 23-5-2013

कुलसचिव

MGSU Bikaner

विषय : विद्या परिषद् की 12 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 30.04.2013 को अयोजित विद्या परिषद् की 12 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ सलंग्न कर भिजवाया जा रहा है।

23/5

कुलसचिव

क्रमांक : एफ.07(112–V) / मगंसिंविबी / शैक्ष. / 2013 / दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :–.

1. निजी सचिव–कुलपति, महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा / गोपनीय / नामाकंन / शैक्षणिक) विभाग, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी , महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर। गोपनीय
6. रक्षित पत्रावली।

उप कुलसचिव (शैक्ष.)

mycomp/E/Sl/A.coun./doex20

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15, बीकानेर (राज.)

प.07( )मंगसिविबी/विद्या परिषद–12/2013/ दिनांक

विद्या परिषद की 12वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की विद्या परिषद की 12 वीं बैंठक दिनांक 30–04–2013 को प्रातः 11:00 बजे कुलपति सचिवालय के मीटिंग हॉल में माननीय कुलपति श्री आनन्द कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1.	श्री आनन्द कुमार	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. विमलेन्दु तायल	–	अधिष्ठाता, विधि संकाय
3.	डॉ. कृष्ण राठौड़ (तोमर)	–	अधिष्ठाता, कला संकाय
4.	प्रो. एम.एम. सक्सेना	–	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय
5.	प्रो. एस.के. भनोत	–	अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय
6.	डॉ. एम.डी. गौरा	–	अधिष्ठाता, वणिज्य संकाय
7.	डॉ. आशा गोस्वामी	–	सदस्य
8.	डॉ.बी.बी.एस. कपूर	–	सदस्य
9.	डॉ. रमा गुप्ता	–	सदस्य
10.	डॉ. जी.पी. सिंह	–	सदस्य
11.	डॉ. सतीश कौशिक	–	सदस्य
12.	डॉ. मधु अग्रवाल	–	सदस्य
13.	डॉ. रंजन सक्सेना	–	सदस्य
14.	डॉ. मोहम्मद अली खान	–	सदस्य
15.	डॉ. रविन्द्र मंगल	–	सदस्य
16.	डॉ. मीरा श्रीवास्तव	–	सदस्य
17.	प्रो. एस. के. अग्रवाल	–	सदस्य
18.	डॉ. यशोदा चौहान	–	सदस्य
19.	डॉ. प्रकाश अमारावत	–	सदस्य
20.	डॉ. इन्द्र सिंह राजपुरोहित	–	सदस्य
21.	डॉ. मोहम्मद हुसैन	–	सदस्य
22.	डॉ. अरूणा भारद्वाज	–	सदस्य
23.	डॉ. बजरंग सिंह राठौड़	–	सदस्य

24. डॉ. अहमद अली — सदस्य
25. डॉ. गार्गीराय चौधरी — सदस्य
26. श्री हुकम चंद ओझा — सदस्य
27. डॉ. के.के.शर्मा (हनुमानगढ़) — सदस्य
28. डॉ. पारूल सिंघल — सदस्य
29 डॉ. अनिल कौशिक — सदस्य
30. डॉ. आर. के. रंगा — राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
31. डॉ. एन. के. व्यास — राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
32.. श्रीमती अनुपमा चौधरी — राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
33. श्री राजीव कुमार भाकल — सदस्य सचिव

बैठक में सर्वप्रथम सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता डॉ. सुरेन्द्र सहारण की माताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण सभी सदस्यों द्वारा दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना कर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही बिन्दुवार प्रारम्भ हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

1. दिनांक 6—10—12 को आयोजित विद्या परिषद की 11वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 11 वीं बैठक दिनांक 06—10—2012 का कार्यवाही विवरण विद्या परिषद के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका हैं। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
संलग्न — कार्यवाही विवरण

निर्णय :— विद्या परिषद की 11 वीं बैठक दिनांक 06—10—2012 के कार्यवाही विवरण का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

2. विद्या परिषद की 11 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के पालना प्रतिवेदन के अनुमोदन का प्रस्ताव।

दिनांक 6—10—12 को आयोजित विद्या परिषद की 11वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
संलग्न — पालना प्रतिवेदन
निर्णय :— विद्या परिषद की 11 वीं बैठक दिनांक 06—10—2012 में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

3. अधिष्ठाता कला एवं विधि के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश के अनुमोदन का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा 9 (क) (VII) के प्रावधान अनुसार डॉ. कृष्णा राठौड़ तोमर (कला सकांय) एवं डॉ. विमलेन्दु तायल (विधि) को क्रमशः विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक F 07 (460)/MGSU/Acad./2012/18058-69 Dated 29.11.12 एवं आदेश क्रमांक 3194—3205 दिनांक 01.03.13 के द्वारा दो वर्ष की अवधि

या अन्य आदेश होने तक अधिष्ठाता नियुक्त किया गया। उक्त अधिष्ठाताओं की नियुक्ति विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
संलग्न – कार्यालय आदेश

निर्णय :– विद्या परिषद द्वारा विधि संकाय में डॉ. विमलेन्दु तायल एवं कला संकाय में डॉ. कृष्णा राठौड़ (तोमर) का अधिष्ठाता पद पर विश्वविद्यालय आदेश 18058–69 दिनांक 29–11–2012 एवं आदेश क्रमांक 3194–3205 दिनांक 01.03.13 के द्वारा दो वर्ष की अवधि या अन्य आदेश होने तक नियुक्ति आदेश का सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए मनोनयन पर प्रसन्नता व्यक्त की गई।

4. महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पाठ्यक्रम मण्डलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु तैयार किये गये पाठ्यक्रमों के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय अध्ययन मण्डलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु तैयार किये गये निम्नांकित पाठ्ग्रक्रम विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

क्र.स.	पाठ्यक्रम	निर्णय
1	भूगर्भ विज्ञान (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 26–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2	जैव प्रौद्योगिकी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 26–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3	वनस्पतिशास्त्र (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 26–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4	रसायनशास्त्र (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 26–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5	पर्यावरण विज्ञान (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 26–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6	गणित (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 26–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
7	सूक्ष्मजैविकी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 26–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में बिन्दु संख्या 02 (M.Sc.(P) Study Tour 5 Marks) के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए शेष पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8	रक्षा एवं सैन्य विज्ञान (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 26–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का विषय विशेषज्ञ से पुनः परीक्षण करवाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
9	भौतिक शास्त्र (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 26–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
10	जन्तुशास्त्र (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 26–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
11	कम्प्यूटर विज्ञान (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 26–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। पी.जी.डी.सी.ए. छात्रों को एम.एससी. (उत्तरार्द्ध) में सीधे प्रवेश देने संबंधी अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर विस्तृत अध्ययन करते हुए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया।

12	विधि (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 26–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। एक वर्षीय एल एल.एम. पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव के परीक्षण हेतु एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया।
13	शिक्षा (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 26–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
14	संस्कृत (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 27–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का विषय विशेषज्ञ से पुनः परीक्षण करवाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
15	भारतीय संगीत (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 27–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
16	दर्शनशास्त्र (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 27–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम को विद्या परिषद द्वारा अस्वीकार करते हुए पुराने वर्षो में संचालित पाठ्यक्रम को ही संचालित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
17	राजस्थानी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 27–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में बिन्दु संख्या 1 के संदर्भ में प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तके एवं प्रश्न पत्र के नाम परिवर्तन को अस्वीकार करते हुए शेष पाठ्यक्रम का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
18	ड्राइंग एण्ड पेंटिग (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 27–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
19	उर्दू एवं पर्सियन (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 27–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
20	अंग्रेजी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 27–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम को विद्या परिषद द्वारा अस्वीकार करते हुए पुनः अध्ययन मण्डल की बैठक आहूत कर पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया गया।
21	ई.ए.एफ.एम. (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 27–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
22	व्यवसायिक प्रशासन (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 27–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
23	एबीएसटी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 27–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। अध्ययन मण्डल द्वारा परीक्षा स्कीम में संशोधन के सुझाव को अस्वीकार किया गया।
24	राजनीति विज्ञान (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 28–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
25	पंजाबी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 28–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
26	गृहविज्ञान (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 28–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का परीक्षण करवाकर का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
27	भूगोल (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 28–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

28	लोकप्रशासन (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 28–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
29	अर्थशास्त्र (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 28–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
30	जीपीईएम (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 28–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम को विद्या परिषद द्वारा अस्वीकार करते हुए पुनः अध्ययन मण्डल की बैठक आहूत कर पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया गया।
31	इतिहास (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 28–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
32	समाजशास्त्र (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 28–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर की कक्षाओं में क्षेत्रीय सर्वक्षण करवाने एवं उसके 20 अंक निर्धारित करने के सुझाव को अस्वीकार करते हुए शेष पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
33	शारीरिक शिक्षा (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 28–02–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। अध्ययन मण्डल द्वारा स्नातक स्तर पर शारीरिक शिक्षा विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारम्भ करने के संबंध प्रस्तुत प्रस्ताव विस्तृत अध्ययन करने का निर्णय लिया गया।
34	हिन्दी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 10–04–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम को विद्या परिषद द्वारा अस्वीकार करते हुए पुराने वर्षो में संचालित पाठ्यक्रम को ही संचालित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
35	जेवीजेवी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 07–04–2013)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
36	मनोविज्ञान	अध्ययन मण्डल की बैठक नही होने के कारण पुराने वर्ष में संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

स्नातक स्तर विज्ञान संकाय में स्वयंपाठी छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति के संबंध में भू–गर्भ विज्ञान पाठ्यक्रम मण्डल द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर विचार–विमर्श उपरान्त समस्त पहलुओं पर गहनता से अध्ययन करने हेतु समस्त अधिष्ठाताओं की समिति के गठन करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

<u>एम.एससी. कम्प्यूटर विज्ञान में प्रवेश हेतु योग्यता का निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव।</u>

विद्या परिषद की 10वीं बैठक के विनिर्णय संख्या मगंसिविबी/विद्या परिषद/10/03 की पालना में विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1391–93 दि.3–10–12 के द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी की दिनांक 5–10–12 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान में प्रवेश हेतु योग्यता के निर्धारण के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा को विद्या परिषद द्वारा अस्वीकार करते हुए पूर्व में प्रचलित प्रवेश हेतु योग्यता को यथावत रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। माननीय सदस्य डॉ. विमलेन्दु

तायल ने सुझाव दिया कि उक्त प्रकरण समकक्षता से संबंधित होने के कारण सर्वप्रथम समकक्षता समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए।

5. बी.ए. ऑनर्स प्रारंभ करने के संबंध में प्रस्ताव।

विद्या परिषद की 10वीं बैठक के विनिर्णय संख्या मगंसिविबी/विद्या परिषद/10/03 की पालना में बी.ए. ऑनर्स प्रारंभ करने के संबंध में विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1396–98 दिनांक 3–10–12 के द्वारा दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। उक्त समिति की बैठक दिनांक 18–10–12 को आयोजित हुई। बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। (पृष्ठ संख्या ....)

निर्णय :– बी.ए. आनर्स प्रारम्भ करने के संबंध में पूर्व गठित समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए विद्या परिषद द्वारा बी.ए. आनर्स प्रारम्भ नही करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

6. विधि स्नातक कक्षाओं में आयु संबंधी छूट के प्रावधान संबंधी प्रस्ताव।

माननीय सदस्य डॉ0 अनिल कौशिक द्वारा विद्या परिषद की 10वीं बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नियमों में विधि स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आयु में 05 वर्ष की छूट का प्रावधान दिया गया है परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति में विधि स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है। विश्वविद्यालय स्तर पर बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावे। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। विद्या परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पुनः विचार हेतु विद्या परिषद को वापिस लौटाने (reffered back) का निर्णय लिये जाने पर प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष पुनः विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश हेतु आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है। बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी दिशा निर्देशनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा (30 वर्ष) में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

8. एम.फिल माइक्रोबायोलॉजी के शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव।

विद्या परिषद की दसवीं बैठक में एम.फिल के अन्य विषयों की शुल्क के निर्धारण के समय एम.फिल माइक्रोबॉयोलाजी शुल्क का निर्धारण न करने एवं शुल्क निर्धारण हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद की 11 वीं बैठक के पश्चात प्राप्त होने से माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक एफ. 07 (112–IV) मंगसिविबी/शैक्ष./2012–13/ 20181–185 दिनांक 24.12.12 (पृष्ठ सं.–) के द्वारा शुल्क का निर्धारण किया गया, अतः एम.फिल. माइक्रोबॉयोलाजी हेतु निर्धारित शुल्क की पुष्टि हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :– एम.फिल. सूक्ष्म जैविकी में शुल्क निर्धारण के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 20181–185 दिनांक 24–12–2012 का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। साथ ही कॉसन मनी के रूप में लिए जाने वाली राशि 500/– रू. के स्थान पर 1000/– रू. करने का निर्णय लिया गया।

9. परीक्षा शुल्क में अभिवृद्धि के संबंध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क का निर्धारण दिनांक 03.07.10 को आयोजित विद्या परिषद की आठवीं बैठक में सत्र 2010–11 हेतु किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क में विगत तीन वर्षो में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है एवं वर्तमान परीक्षा शुल्क राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों यथा एम.डी.एस. अजमेर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर की तुलना में बहुंत कम है। वर्तमान समय में परीक्षात्मक व्ययों में हुई वृद्वि के मध्य नजर रखते हुए परीक्षा शुल्क में अभिवृद्वि किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः इस विश्वविद्यालय एवं एम.डी.एस. अजमेर की वर्तमान परीक्षा शुल्क संबंधी विवरण (पृष्ठ सं.–) संलग्न प्रस्तुत कर सत्र 2013–14 में परीक्षा शुल्क में अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विद्या परिषद द्वारा परीक्षा शुल्क में वृद्वि के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए आगामी बैठक में रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

10. विश्वविद्यालय में नये शैक्षिक विभाग खोलने हेतु प्रस्ताव.

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक_प. 14 (13) शि.–4/07 दिनांक 11.12.07 के द्वारा इस विश्वविद्यालय में पॉच विभागों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई (पृष्ठ सं.–) जो सत्र 2011–12 से संचालित हो गये है। विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं शोध कार्यो को बढाने हेतु कुल विभाग और प्रारम्भ करने हेतु वांछित पदों सहित प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है। अतः इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विकास हेतु अन्य नये विभागों का चयन कर शुरू किये जाने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उक्त प्रस्ताव पर व्यापक विचार–विमर्श कर माननीय कुलपति महोदय को एक समिति गठित करने हेतु अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक स्थिति छात्रों एवं समय की मांग के अनुसार विभाग खोलने हेतु विषय विशेषज्ञों से प्रस्ताव प्राप्त कर अपनी अनुशंसा कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।

11. विश्वविद्यालय से सम्बधित महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2013–14 को अंगीकार करने के संबंध में प्रस्ताव

राज्य सरकार द्वारा सत्र 2013–14 हेतु जारी प्रवेश नीति को इस विश्वविद्यालय में अंगीकार करते हुवें सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों से इसके अनुरूप कार्य व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– राज्य सरकार द्वारा सत्र 2013–14 हेतु जारी प्रवेश नीति को इस विश्वविद्यालय में अंगीकार करने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा जिन कक्षाओं में प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वयं नियम बने हुए है उन कक्षाओं में प्रवेश के लिये विश्वविद्यालय के नियम मान्य होगे अन्य के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश निति 2013–14 को अंगीकृत किया जायेगा।

12. विश्वविद्यालय में असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति हेतु विषय विशेषज्ञों के पैनल के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में इतिहास, कम्प्यूटर साईंस एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान विभागों में निम्नानुसार पद रिक्त है :-

1. इतिहास विभाग – एसोसिएट प्रोफेसर – 01 पद
2. सक्ष्म जीव विज्ञान विभाग – प्रोफेसर –01 पद
   एसोसिएट प्रोफेसर – 02 पद
3. कम्प्यूटर विज्ञान विभाग – प्रोफेसर – 01 पद
   एसोसिएट प्रोफेसर – 02 पद
   सहायक प्रोफसेर – 02 पद

सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के चयन हेतु "दी राजस्थान यूनिवर्सिटीज टीचर्स एण्ड ऑफिसर्स (सलेक्शन फॉर अपोइंटमेंट) एक्ट 1974 (एक्ट नं. 18 ऑफ 1974)" की धारा 5 (V) के अनुसार गठित की जाने वाली चयन समिति में सम्मिलित किये जाने वाले विषय विशेषज्ञों के पैनल उक्त एक्ट की शिड्यूल फर्स्ट (कॉलम–2) के अनुसार विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन/अनुशंसा वांछित है। विषय विशेषज्ञों का पैनल विद्या परिषद के समक्ष बैठक में प्रस्तुत किया जाकर पैनल अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय में स्वीकृत विभागों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स एवं प्रोफेसर्स के चयन हेतु दी राजस्थान यूनिवर्सिटीज टीचर्स एण्ड ऑफिसर्स (भर्ती एवं पदोन्नति अधिनियम 1974 (एक्ट नं. 18 ऑफ 1974) की धारा 5 (V) के अनुसार गठित की जाने वाली चयन समिति में सम्मिलित किये जाने वाले विषय विशेषज्ञों के पैनल का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेण्डा (I)

मेरिट लिस्ट के निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही परीक्षा 2012 की डिग्रियों का वितरण करने हेतु दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जाना है। दीक्षान्त समारोह में विभिन्न कक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त कर चुके छात्र व छात्राओं को स्वर्ण पदक भी प्रदान किये जाने है। विश्वविद्यालय के अध्यादेश 157 A (11) के अनुसार पुनर्मूल्यांकन में बढ़े हुए अंको को वरियता सूची में नहीं जोड़ा जायेगा। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने दायर याचिकाओं में पारित निर्णय में एक से अधिक बार यह निर्देशित किया है कि पुनर्मूल्याकंन में बढ़े हुए अंको के आधर पर ही वरियता सूची तैयार की जावें। गोल्ड मेडल प्रदान करने हेतु वरियता सूची के निर्धारण में पुनर्मूल्यांकन से बढ़े अंको को जोड़ा जाता है या नहीं के संबंध में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को पत्र क्रमांक 19112, 19118 दिनांक 08.10.12 के द्वारा लिखा गया परन्तु इस संबंध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। **(प्रतियाँ संलग्न)**

गोल्ड मैडल प्रदान करने हेतु वरियता सूची के निर्धारण में पुनर्मूल्यांकन से बढ़े अंको को जोड़ने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– गोल्ड मैडल प्रदान करने हेतु वरियता सूची के निर्धारण में पुनर्मूल्यांकन से बढ़े अंको को जोड़ने के संबंध परीक्षण करने हेतु विद्या परिषद द्वारा डॉ. विमलेन्दु तायल, अधिष्ठाता विधि संकाय एवं डॉ. अनिल कौशिक, समन्वयक विधि पाठ्यक्रम की एक समिति गठन करने का सर्व सम्मति से

निर्णय लिया गया। उक्त समिति परीक्षण उपरान्त प्रस्तुत रिपोर्ट को विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

टेबल एजेण्डा (II)

एल एल.बी. की डिग्री रद्द करने हेतु प्रस्ताव

अभ्यर्थी श्री मनोज गौड़ पुत्र श्री नौरंग लाल गौड़ ने सत्र 2006 में स्नातक स्तर पर कुल 44.83 प्रतिशत अंक एवं श्री संतोख सिंह पुत्र श्री स्व. आत्माराम ने सत्र 1989 में स्नातक स्तर पर कुल 39.88 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। एल एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 45 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत नहीं होने के कारण प्रवेश के पात्र नहीं थें। विश्वविद्यालय अध्यादेश 252 के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक अभ्यर्थी ही एल एल. बी. प्रथम वर्ष का पात्र होगा। निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 3.1:4 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) अभ्यर्थी को उक्त पाठ्यक्रम में उक्तवर्णित अर्हकारी परीक्षा में पात्रता अंक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।

माननीय न्यायालय, बीकानेर द्वारा उपरोक्त अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान करने का अंतरिम आदेश दिया गया। जिसकी पालना महाविद्यालय द्वारा की गई। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त छात्रों का नामांकन कर परीक्षा में प्रविष्ठ करवा दिया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा प्रदत निर्णय दिनांक 03.03.12 एवं 01.11.12 के निर्णयानुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों को प्रवेश/परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना है। दोनों प्रार्थी एल एल.बी. की डिग्री विश्वविद्यालय से प्राप्त कर चुके है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	छात्र का नाम	पिता का नाम	कक्षा जिसमें प्रवेश लिया	परीक्षा वर्ष	रोल नं.	परीक्षा परीणाम
1.	श्री मनोज गौड़	नौरंग लाल गौड़	एल.एल.बी. प्रथम वर्ष	2008	231829	PASS
	"	"	एल.एल.बी. द्वितीय वर्ष	2009	303637	SUPP
	"	"	एल.एल.बी. द्वितीय वर्ष	2009	923116	FAIL
	"	"	एल.एल.बी. द्वितीय वर्ष	2010	436818	PASS
	"	"	एल.एल.बी. तृतीय वर्ष	2011	675617	SUPP
	"	"	एल.एल.बी. तृतीय वर्ष	2011	60454	PASS
2.	श्री संतोख सिंह	स्व. आत्माराम	एल.एल.बी. प्रथम वर्ष	2009	300807	FAIL
	"	"	एल.एल.बी. प्रथम वर्ष	2010	433821	SUPP
	"	"	एल.एल.बी. प्रथम वर्ष (RE)	2010	433821	PASS
	"	"	एल.एल.बी. द्वितीय वर्ष	2011	678766	PASS
	"	"	एल.एल.बी. तृतीय वर्ष	2012	353713	PASS

विश्वविद्यालय अध्यादेश 169–H (1) के अनुसार – If an error is noticed after the declaration of result/issue of mark-sheet/certificate/degree/diploma, as the case may be and rectification of the error involves a change in the marks obtained by the candidate or in his result to his disadvantage, the syndicate shall have the power to order necessary correction in result/marks-sheet/provisional certificate/degree/diploma, as the case may be. In the event of the candidate refusing to submit or not responding to the requirement of submilling the marks-sheet/or certificate/degree/diploma, as the case may be for necessary correction the syndicate may cancel his examination and further take such other action as it deems proper.

उपरोक्त छात्रों की एल एल.बी. की डिग्री रद्द करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विद्या परिषद द्वारा उक्त दोनों छात्रों की एल एल.बी की डिग्री निरस्त करने के संबंध में विद्या परिषद द्वारा माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णयानुसार ही आगामी कार्यवाही करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

टेबल एजेण्डा (III)
आर्डिनेन्स 124 के अन्तर्गत शोध प्रतिवेदन में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव

भविष्य में शोध संबंधी दस्तावेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है, उसी के अनुसार Examiner's Report में आवश्यक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। अतः वर्तमान में प्रचलित परीक्षक द्वारा दिए जाने वाले शोध प्रतिवेदन के प्रारूप को Ordinance-124 में दिये गए Proforma for Examiner's Report on a Ph.D. Thesis (संलग्न) प्रारूप के अनुसार संशोधन करने का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विद्या परिषद द्वारा प्रस्तुत संशोधन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

23/5

कुलसचिव